P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था व उत्तर–दक्षिण संवाद

New International Economic Order and North-South Dialogue

Paper Submission: 12/09/2020, Date of Acceptance: 26/09/2020, Date of Publication: 27/09/2020

सुलोचना
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एस. के. राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर,
राजस्थान, भारत

सारांश

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वस्तुतः एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो कि समता मूलक न्याय सम्यक व सहभागी प्रकृति की हो। जहां दुनिया के सभी राष्ट्रों का समुचित स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु वैश्विक परिवेश हो। अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तृतीय विश्व की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उत्तर–दक्षिण संवाद आवश्यक है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तभी संभव है, जब विकसित राष्ट्र इसके लिए सहमत हों। उत्तरी गोलार्द्ध में वे देश शामिल हैं जो विकसित, उन्नत, सम्पन्न और औद्योगिक दृष्टि से प्रगति पर हैं। अधिकांशतया ये देश यूरोप व उत्तरी अमेरिका के हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्द्ध में लैटिन अमेरीका और अफ्रीका के देश शामिल हैं, जिनकी निम्न विकास दर अत्यधिक जनसंख्या वृद्वि दर, पिछड़ापन, गरीबी और निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं हैं। अतः नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विकसित राष्ट्रों को इसके लिए सहमत होना होगा।

The New International Economic Order is a global economy that promotes justice, equality and equal participation. It provides a platform for complete participation of all nations of the world. In order to ensure total participation of the third world in international economy, New International Economic Order was demanded to be established. For successful New International Economic Order, North-South Dialogue is necessary. If the developed countries consent with New International Economic Order then only development of New International Economic Order is possible. Northern hemisphere comprises of developed, progressive and affluent countries. These countries mostly belong to Europe and America. Whereas in Southern hemisphere to be precise in Latin America and Africa; there are countries which have low growth rate, high population density, backwardness, poverty and low standard of living. Therefore for progress of New International Economic Order the developed countries have to give consent for its formation.

मुख्य शब्द : नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, उत्तरी गोलार्द्ध, दक्षिणी गोलार्द्ध, भूमण्डलीकरण, आत्मनिर्भर विकास, प्रभुसतासम्पन्न समानता, परस्पर–निर्भरता, विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, राष्ट्रीयकरण, विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, संरक्षणवाद।
New International Economic Order, Northern hemisphere, Sothern hemisphere, globalisation, self-development, sovereign-equality, mutual-dependency, developing countries, developed nations, nationalisation, World bank , IMF and patronisation

प्रस्तावना

1 मई 1974 को नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया जाकर अर्थव्यवस्था के स्थापना हेतु कार्यसूची व एजेंडा प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव के तहत विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकासशील देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा संस्थाओं के पुनर्गठन पर सहमति बनी ताकि विश्व आर्थिक असमानता को कम किया जा सके। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का यह प्रस्ताव यूएन महासभा के 6वें अधिवेशन में पारित हुआ।[1] नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वस्तुतः एक ऐसी वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो कि समता मूलक न्याय सम्यक व

सहभागी प्रकृति की हो। जहां दुनिया के सभी राष्ट्रों का समुचित स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु वैश्विक परिवेश हो।

भूमण्डलीकरण के युग में आत्मनिर्भर विकास की कल्पना संभव नहीं है। आपसी सहयोग को विकास का सशक्त माध्यम बनाना आज विश्व की अपरिहार्यता है। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए विकसित राष्ट्रों को इसके लिए सहमत होना होगा। जबकि विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों द्वारा केवल उपभोक्ता के रूप में ही प्रोत्साहित किए गए। विकासशील राष्ट्रों के मन में यह तथ्य सदैव विद्यमान रहता है कि उनका विकास विकसित राष्ट्र उन्हें केवल कच्चे माल उत्पादक उपनिवेश के रूप में न मानकर उनके स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहित करें, ताकि विकासशील राष्ट्रों की सम्प्रभुता, विकास की उपलब्धियाँ व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने। वे अपनी नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकें।

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना व्यवहार में समुचित रूप से किए जाने हेतु कई मांगे रखी गई।[2] अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तृतीय विश्व की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की गई है। नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग के तहत उन वैश्विक आर्थिक व व्यापारिक नियम व मानदण्डों में परिवर्तन हेतु दबाव बढ़ा जिससे कि विश्व स्तर पर एक उत्तरदायी पारदर्शी सहयोगी एवं संवेदनशील अर्थव्यवस्था का बहुआयामी विकास हो। विश्व स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग में संरक्षणवादी नीतियों पर अंकुश हेतु प्रयत्न हुये ताकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की पारदर्शिता बरकरार रखी जा सके। तृतीय विश्व के राष्ट्रों को व्यापक स्तर पर पूंजी मुहैया कराने हेतु समुचित ठोस मानदण्ड तैयार किए जाने हेतु दबाव बढ़ा।

नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उभर कर प्रकट होते हैं।[3] जैसे– तीसरी दुनियां के देशों द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास करना। विकास सम्बन्धित सहायता बिना शर्तों के होगी तथा वास्तव में संसाधनों का बहाव विकासशील राष्ट्रों की ओर होना चाहिए। विकासशील देशों द्वारा निर्यातित सामान तथा कच्चे माल व उत्पादित माल की कीमतों में न्यायोचित सम्बन्ध। प्रत्येक राष्ट्र की अपने खनिज पदार्थों पर पूर्ण प्रभुसत्ता होगी जिसमें उनका हस्तान्तरण व राष्ट्रीयकरण भी सम्मिलित होगा। तीसरी दुनिया के देशों को विकसित देशों की उन्नत तकनीक के प्रयोग की सुविधाएं उपलब्ध हों। अमीर राष्ट्रों द्वारा गरीब राष्ट्रों के लिए अपने संसाधनों का हस्तान्तरण करना, आदि।

अध्ययन के उद्देश्य

1. भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के कारकों का अध्ययन व अन्य चरों में सहसंबंध का अध्ययन करना है।
2. विकासशील राष्ट्र जो अपने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठा चुके हैं, की समस्याओं, संभावनाओं एवं पारस्परित सहयोग के अलावा अपनाई विधियों का अध्ययन आवश्यक है।
3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के संगठनों की त्वरित स्थापना उनके उद्देश्यों तथा सफलता की संभावनाओं का अध्ययन आवश्यक समझ कर यह प्रस्तुत अध्ययन किया जाना हैं।
4. भूमण्डलीकरण की संकल्पना का ठहराव एवं संभावित दशा क्या होगी यह आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में किए गए प्रयासों पर निर्भर करता है। अतः समस्त विश्व के एकीकरण के इस संभावित मार्ग का अध्ययन करना अध्येता का उद्देश्य है।

परिकल्पना

परिकल्पना के रूप में जिन अनुत्तरित प्रश्नों एवं विचारों को व्याख्या प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है, उसकी व्याख्या की जा सकती है।

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता ।
2. विश्व स्तर विकसित राष्ट्रों की राजनीति ने ही समस्त विकासशील राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित किया है। जिसे ये विकासशील राष्ट्र प्रभाव मुक्त करना चाहते हैं।
3. नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था समस्याओं, संभावनाओं व सहयोगात्मक पहल पर तथ्यपरक विचार किया जा सकता है।
4. विकासशील देश नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करने के हकदार हैं का अध्ययन आवश्यक है।
5. नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना का घोषणा पत्र' क्या 'समस्त राष्ट्रों के बीच समता, प्रभुसत्ता सम्पन्न समानता, परस्पर–निर्भरता, आम हित तथा सहयोग के आधार पर एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए त्वरित गति से कार्य करने व विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच की आर्थिक खाई को पाटने की परिस्थितियां उत्पन्न करने का अध्ययन किया जाना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र मूलतः द्वितीयक सूचना स्रोतों पर आधारित है हालांकि प्राथमिक स्रोत भी समाहित किए गए है। जब संशोधन स्वतः घटना स्थल पर उपस्थित रहकर अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी और आंकड़ों का संग्रहण करता है तब इस प्रकार वस्तु और व्यक्ति से उपलब्ध हुई तथ्य सामग्री को प्राथमिक तथ्य सामग्री कहते हैं। द्वितीयक तथ्य सामग्री ऐसी सांख्यिकी जानकारी है जिसे संशोधन प्रकाशित या अप्रकाशित दस्तावेजों, पाण्डुलिपियों, जीवनियों, डायरियों और पत्रों आदि के माध्यम से प्राप्त करता है। इस प्रकार प्राप्त हुई तथ्य सामग्री को भी संशोधन में महत्व प्राप्त है। प्रस्तुत अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनाए रखने के लिए शासकीय और अशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित/अप्रकाशित दस्तावेज, सांख्यिकी, आदेश, सूचना आदि का उपयोग किया गया है।

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं उत्तर–दक्षिण संवाद

भूमध्य रेखा पर पृथ्वी दो गोलार्द्ध उत्तर और दक्षिण में विभाजित है। यह विभाजन इस वास्तविकता का

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-1* September- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्रमाण है कि, विश्व के विभिन्न देश असमान हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर और गरीब, शक्तिशाली और दुर्बल, विकसित व विकासशील देशों को अलग करती है।[4] उत्तरी गोलार्द्ध में वे देश शामिल हैं जो विकसित, उन्नत, सम्पन्न और औद्योगिक दृष्टि से प्रगति पर हैं। अधिकांशतया ये देश यूरोप व उत्तरी अमेरिका के हैं।[5] वहीं दक्षिणी गोलार्द्ध में लैटिन अमेरीका और अफ्रीका के देश शामिल हैं, जिनकी निम्न विकास दर अत्यधिक जनसंख्या वृद्वि दर, पिछड़ापन, गरीबी और निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं हैं।[6]

तालिका –1
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विकसित देशों की जीडीपी एवं उनका वैश्विक स्थान

S.No.	RANK IN WORLD	COUNTRY	GDP (MILLIONS OF US$)
1	1	United States	18,561,930
2	3	Japan	4,730,300
3	4	Germany	3,494,900
4	5	United Kingdom	2,649,890
5	6	France	2,488,280
6	8	Italy	1,852,500
7	10	Canada	1,532,340
8	11	South Korea	1,404,380
9	12	Russia	1,267,750
10	13	Australia	1,256,640

Source: https://en.wikipedia.org/.../List_of_countries_by_GDP

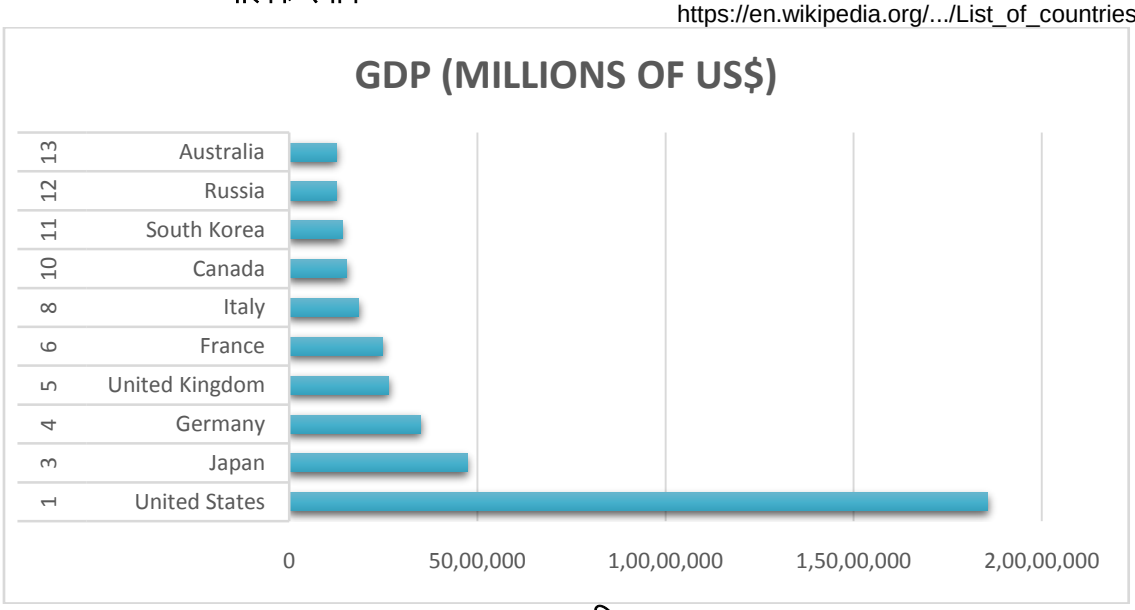

तालिका –2
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार विकासशील देशों की जीडीपी एवं उनका वैश्विक स्थान

S.NO	RANK IN WORLD	COUNTRY	GDP (MILLIONS OF US$)
1	2	China	11,391,619
2	7	India	2,250,990
3	9	Brazil	1,769,600
4	15	Mexico	1,063,610
5	16	Indonesia	940,953
6	21	Argentina	541,748
7	26	Nigeria	415,080
8	27	Iran	412,304
10	32	Venezuela	333,715

Source: https://en.wikipedia.org/.../List_of_countries_by_GDP

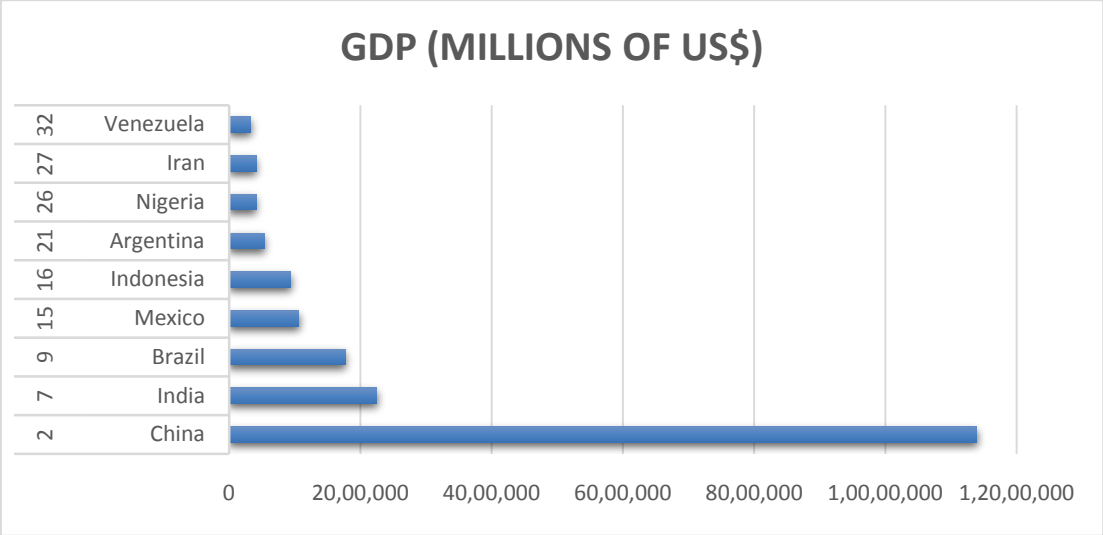

इस प्रकार तालिका 1 एवं 2 में विकसित एवं विकासशील देशों की जीडीपी का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि, विश्व में प्रथम दस स्थानों पर सर्वाधिक जीडीपी वाले विकसित राष्ट्रों की संख्या सात है जबकि, विकासशील राष्ट्रों की संख्या तीन है। प्रथम दस स्थानों में विकासशील देशों में चीन, भारत व ब्राजील ही स्थान बना पाते हैं। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों की तुलना में चीन व भारत को छोड़कर विकासशील देशों की स्थिति जीडीपी को लेकर कमजोर है।

नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उत्तर–दक्षिण संवाद आवश्यक है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तभी संभव है, जब विकसित राष्ट्र इसके लिए सहमत हों। मूलतः द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देश एक–एक कर स्वतन्त्र होते गए। इन्हें राजनीतिक स्वतन्त्रता तो मिल गयी किन्तु आर्थिक दृष्टि से ये देश वास्तविक रूप में स्वतंत्र नहीं थे। विश्व अर्थव्यवस्था का ऐसा ढांचा स्थापित हो चुका था जो न्याय एवं लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर आधारित नहीं था और नवोदित देश नव–उपनिवेशवाद के जाल में फंसते चले गये। इस अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास ब्रेटनवुड्स में किया गया था। ब्रेटनवुड्स में प्रस्तावित्त 'आर्थिक व्यवस्था' अमरीका की ही एक योजना थी जिसे अन्य प्रमुख औद्योगिक देशों का समर्थन प्राप्त था और जिसका उद्देश्य उसकी अपनी हित साधना था न कि वैश्विक हितों की साधना करना। एक तरह से धनी देशों द्वारा स्वयं के लिए तैयार की गयी यह अर्थव्यवस्था अमीर और गरीब देशों के बीच असमानता एवं निर्भरता के सम्बन्धों को संस्थागत रूप में जारी रखने के हिसाब से तैयार की गयी थी जिसके मुख्य औजार विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष रहे। इसी कारण विकासशील देश वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के निर्माण की बात कहने लगे थे एवं एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की**अ.** सोचने लगे।

उत्तरी गोलार्द्ध में वे देश शामिल हैं जो विकसित, उन्नत, सम्पन्न और औद्योगिक दृष्टि से प्रगति पर हैं। अधिकांशतया ये देश यूरोप व उत्तरी अमेरिका के हैं।[7] वहीं दक्षिणी गोलार्द्ध में लैटिन अमेरीका और अफ्रीका के देश शामिल हैं, जिनकी निम्न विकास दर अत्यधिक जनसंख्या वृद्वि दर, पिछड़ापन, गरीबी और निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं हैं।[8]

दोनों गोलार्द्धों में यह विषमताएं निरंतर गहरी होती जा रही हैं। ये विषमताएं ही उत्तर–दक्षिण विवाद को बढावा देती हैं। सहयोग प्राप्त करने और संघर्ष मिटाने के लिए उत्तर–दक्षिण संवाद नितांत अनिवार्य है, जिससे कि विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों को निम्नांकित सुविधाएं दें।

1. उनके द्वारा निर्यात किए जाने वाले कच्चे और पक्के माल के लिए ऊँची कीमतें चुकाने तथा अपने बाजारों में उनके प्रवेश के लिए बेहतर सुविधाएं और अवसर प्रदान करने के लिए सहमत हों।
2. विकास–सहायता की राशि में वृद्धि के लिए तैयार हों। वर्तमान समय में वे अपनी राष्ट्रीय आय का केवल एक प्रतिशत अंक विकास–सहायता के रूप में प्रदान करते हैं।
3. पुराने ऋणों की अदायगी के लिए अधिक लम्बी अवधि, घटी हुई ब्याज दर तथा विकासशील राष्ट्रों की मुद्रा में भुगतान की सुविधाएं दें और जिन राष्ट्रों की अर्थ–व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों के बोझ के नीचे टूट रही है, उनके कर्जे माफ कर सकें।
4. आर्थिक सहायता के साथ–साथ उन्नत तकनीक दें तथा अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों में उन्हें भागीदारी बनाएं और कॉपीराइट के प्रतिबन्ध को इस प्रकार शिथिल करें कि पूर्व सोवियत संघ की भांति तीसरे विश्व के राष्ट्र उसकी उन्नत तकनीक को बेरोकटोक इस्तेमाल कर सकें।
5. कृषि–विस्तार और औद्योगीकरण में इस प्रकार सहयोग दें, जिससे कि वे विश्व स्तर पर पहुंच सकें।

उत्तर–दक्षिण संवाद के लिए किए गये प्रयत्न

पेरिस सम्मेलन

अमेरीका द्वारा दिसम्बर, 1975 को पेरिस में सम्मेलन बुलाया गया, जिसको अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में 19

विकासशील और विकसित राष्ट्रों ने भाग लिया, जिसमें इस बात पर सहमति बनी कि विकासशील राष्ट्रों द्वारा दक्षिण के निर्धन देशों को कुछ रियायतें व सहायता दी जायेगी और यह तय हुआ कि निर्धन राष्ट्रों को निर्यात किये जाने वाले तेल पर स्थिर मूल्यों के लिए एक विशेष कोष का गठन किया जायेगा, जिसको तेल निर्यातक देशों द्वारा मना कर दिया गया और यह सम्मेलन महत्वहीन हो गया।[9]

ब्रांट आयोग, 1977

इस गैर सरकारी स्वतंत्र आयोग को विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनहारा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए बनाया गया।[10] इस आयोग द्वारा सबसे ज्यादा बल उत्तर और दक्षिण के राष्ट्रों में परस्पर निर्भरता पर दिया गया।[11] ब्रांट आयोग ने बहुउद्देश्यीय व्यापार, समुद्री कानून, तकनीक हस्तान्तरण, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार जैसे मुद्दों पर भी अपने सुझाव दिये।[12]

कानकुन सम्मेलन

अक्टूबर, 1981 में इसका आयोजन मैक्सिको के राष्ट्रपति की पहल पर हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में इस प्रकार से परिवर्तन करना था कि, बदलती हुई परिस्थितियों में विकासशील राष्ट्र आर्थिक शोषण व असमानता के शिकार नहीं हो।[13] चूंकि ब्रेटनवुड्स के सम्मेलन में दो अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाओं की रचना की गई। प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरी, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक अथवा विश्व बैंक।[14] अक्टूबर, 1981 में कानकुन शिखर सम्मेलन के सार्थक परिणाम नहीं निकल पाए फलतः यह बात स्पष्ट हो गई कि विकासशील राष्ट्र दक्षिण–दक्षिण संवाद का मार्ग अपनाएं।

डंकल प्रस्ताव व विश्व व्यापार संगठन

गैट पर हस्ताक्षर करने वालो राष्ट्रों को गैट अनुबंधित पक्ष कहा गया। इसके तहत सन 1986 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उच्च आयाम प्रदान के लिए वृहद् स्तर पर सौदेबाजी प्रारंभ की। गैट द्वारा सौदेबाजी का यह दौर 1986–93 तक चला और इसी को उरूग्वे वार्ता की संज्ञा दी जाती है। उरूग्वे वार्ता का जो दौर 1986–93 तक चला, गैट वार्ता का अंतिम दौर था। इसके उद्देश्य इस प्रकार थे :–

1. आयात शुल्क को कम करना और गैर आयाती करों में आ रही बाधाओं को दूर करना।
2. गैर आयाती करों की बाधाओं में कमी व उनका विलोपन।
3. सभी जगह आयात करों में एक तिहाई कटौती।
4. विदेशों में निवेश करने पर लगी शर्तों आदि को नए उपायों द्वारा दूर करना जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिले।
5. प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उत्पादों अथवा उद्योगों मछलीपन, वनोद्योगों और खनिज उद्योग में उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना।
6. व्यापार कार्य को गति देने और ज्यादा कारगर बनाने के लिए राष्ट्रों के बीच हो रहे विवादों को उचित उपायों द्वारा सुलझाना।
7. कृषि के अंतर्गत खेतिहारी उत्पादन पर दी जाने वाली रियायतों तथा अन्य सहायताओं को कम करना एवं घरेलू बाजार को व्यापार हेतु खोलना।

वस्तुतः उरुग्वे वार्ता दौर (1986–94) के परिणामस्वरूप उद्भवित विश्व व्यापार संगठन एक ऐसे संगठन रूप में उभरा है जो कि संभवतः वैश्विक व्यापार की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए अद्वितीय है। 1948 के बाद से विश्व व्यापार विशेषतः मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने, इसे बहुपक्षीय बनाने, इसके क्षेत्र विस्तार (सदस्य राष्ट्रों की संख्या में वृद्धि करने) तथा विवाद न्यूनता की दिशा मे कार्य करने वाला अकेला अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जहां एक ओर गैट छोटा एवं अस्थायी था, साथ ही उसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में भी कानूनी मान्यता नहीं मिली, वहीं विश्व व्यापार संगठन अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में जाना जाता है तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनन वैध है। गैट के अंतर्गत केवल वस्तु व्यापार ही किया जाता था, जबकि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत वस्तु, सेवा एवं बौद्धिक संपदा का भी आयात–निर्यात किया जाता है। अतः विश्व व्यापार संगठन, गैट का केवल परिवर्तित रूप नहीं है अपितु गैट का संशोधित रूप है।

व्यापारिक आँकडों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि गैट ने विकसित देशों की संरक्षणवादी नीति व प्रषुल्क की बड़ी दरों को नियंत्रित करने में अहम् भूमिका निभाई परन्तु विकासशील देशों को इसका ज्यादा फायदा नहीं हो पाया क्योंकि औद्योगिक देशों द्वारा अपने तैयार माल के लिए एक बहुत बड़े बाजार की तलाश थी जो पूरी हो चुकी थी। गैट का आठवां दौर जिसको उरूग्वे राउण्ड कहा जाता है, अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था, इसमें नए मुद्दों को शामिल किया गया था और इस दौर में ही विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ।[15]

उरूग्वे दौर के लिए चार वर्षों का समय निर्धारित किया गया लेकिन विकसित व विकासशील देशों में सर्वसम्मति नहीं बन पायी। अंत में गैट के महानिदेशक आर्थर डंकल द्वारा एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसे डंकल प्रस्ताव भी कहा जाता है इसमें कुल 15 क्षेत्रों को शामिल किया गया जिसको दो भागों में विभाजित किया गया।[16] भाग 1 में 14 क्षेत्रों को रखा गया इसके साथ ही भाग 1 की उद्घोषणा में सेवाओं में व्यापार को शामिल किया गया इन 14 क्षेत्रों को पुनः 7 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया।

गैट की उरूग्वे वार्ता का दौर काफी लम्बा चला परिणामस्वरूप मोरक्को के मराकश शहर में गैट के सदस्य राष्ट्रों नें अप्रेल 1994 में हस्ताक्षर किये। परिणामस्वरूप जनवरी, 1995 में विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया। इस प्रकार विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को गैट के उरूग्वे दौर में हुए समझौते के फलस्वरूप हुई। यह संगठन एक सुव्यवस्थित तथा स्थायी विश्व व्यापार संस्था है, जिसमें उरूग्वे दौर द्वारा संशोधित गैट तथा गैट के अन्तर्गत स्वीकृत सभी समझौते एवं व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं। 31 दिसंबर, 1994 को गैट के अनुबंधित पक्ष की संख्या 128 थी, जिसमें से केवल 76 राष्ट्रों ने 1 जनवरी, 1995 कोविश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ग्रहण की तथा कुल 36 और राष्ट्रों ने 31

दिसंबर, 1995 तक इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके उपरांत 16 राष्ट्र सदस्यों ने 1996 में, 04 राष्ट्र सदस्यों ने 1997 में, केवल एक राष्ट्र (किरगिज गणराज्य) ने 1998 में, दो राष्ट्रों (एस्टोनिया तथा लाटविया) ने 1999 में तथा 05 राष्ट्रों ने सन 2000 में इस संगठन की सदस्यता ग्रहण की और सदस्य राष्ट्रों की वर्तमान में संख्या 164 है। जहाँ विकसित देशों द्वारा मराकश समझौते पर खुशी व्यक्त की गयी। वहीं दक्षिण के देशों द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि उरूग्वे दौर की वार्ता से तृतीय विश्व के राष्ट्रों को ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि अधिकांश समझौते औद्योगिक राष्ट्रों को लाभ पहुचाने के लिए किये गए थे। उत्तर के देश आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण पर बल दे रहे थे। जिससें बीमा, बैंकिंग, बहुराष्ट्रीय उद्यम और निर्मित उत्पादों के लिए तृतीय विश्व के देशों के बाजार उनके लिए खुल जाएं और विदेशी कम्पनियों पर लगे प्रतिबन्ध हट जाएं। लेकिन दूसरी ओर उत्तर के देश तकनीक हस्तान्तरण व बौद्विक सम्पदा अधिकारों पर राष्ट्रीय कानून लागू रखना चाहते थे न कि उदारवादी कानून। उनके इस दोहरे रवैये से दक्षिण के देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि लगभग पेटेन्ट्स पर MNCs का अधिकार था, जिसके कारण दक्षिण के देशों को दी जाने वाली तकनीक सहायता में भारी कटौती की जाती थी।

भारत सहित अन्य तृतीय विश्व के देशों ने इसका कड़ा विरोध किया लेकिन वर्तमान में सेवाएं, अन्तर्राष्ट्रीय निवेश में उदारीकरण तथा बौद्विक सम्पदा अधिकार, ये तीनों विवादित क्षेत्र विश्व व्यापार संगठन के क्षेत्राधिकार में आते हैं। TRIPs के रूप मे बौद्विक सम्पदा अधिकार लागू किया गया जिसके परिणामस्वरूप कृषि, औषधि के साथ – साथ जैविक क्षेत्र में भी पेटेन्ट कानून को लागू किया गया। गैट की जगह WTO की स्थापना एक नए परिवर्तन की आहट थी और लगने लगा कि अब विकासशील देशों का भला हो जायेगा लेकिन आज भी विकासशील देश महाशक्तियों के चंगुल से दूर नहीं हो पाये हैं। सैद्धान्तिक रूप से मुक्त व्यापार को बढावा दिया जा रहा है, लेकिन अभी भी संरक्षणवादी नीतियों को विकसित देशों ने अपना रखा है। TRIPS, TRIMS और कृषि सब्सिडी, मानव अधिकार, स्वास्थ्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था, पर्यावरण, जैविक विविधता के नाम पर अपनी मनमर्जी से कानून बनाकर तृतीय विश्व को नव उपनिवेषवाद का शिकार बनाया जा रहा है।

गैट के वैकल्पिक उपायों के रूप में विकसित 'विश्व व्यापार संगठन, गैट का प्रतिस्थापक रहा। लगभग एक वर्ष की अवधि (1995 में) तक गैट और विश्व व्यापार संगठन दोनों समानांतर कार्यरत रहे, जबकि गैट के अंधिकांश उपर्युक्त प्रावधानों को विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया गया था। तथापि यह व्यवस्था अस्थायी तौर पर विश्व व्यापार संगठन के उपयुक्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक थी। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन में गैट के अधिकांश प्रावधानों को समाहित तो किया गया, परंतु इसमें गैट के अतिरिक्त भी बहुत कुछ जोड़ा गया जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार व पर्यावरण के बीच संतुलन की दृष्टि से तथा विकासशील राष्ट्रों के हितार्थ आवश्यक था।

सात वर्षीय उरूग्वे दौर में चार नए समझौते हुए, जो अब डब्ल्यू.टी.ओ. के मूलभूत समझौते के भाग हैं। ये समझौते इस प्रकार हैं –1. व्यापार सम्बन्धी बौद्विक सम्पदा अधिकार–ट्रिप्स, 2. व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय–ट्रिम्स, 3. सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता–गैट एवं 4. कृषि।[17]

व्यापार सम्बन्धी बौद्विक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स)

यह एक प्रकार का एकाधिकार है, जो किसी देश की सरकार अन्वेषक को एक निश्चित अवधि के लिए प्रदान करती है। यदि अन्वेषक की खोज का प्रयोग किसी अन्य के द्वारा किया जाता है, तो उसे रॉयल्टी लेने का अधिकार है। ट्रिप्स के अन्तर्गत 7 प्रकार की बौद्विक सम्पदा आती है–1. कॉपीराइट व अन्य सम्बन्धित अधिकार 2. ट्रेडमार्क, 3. भौगोलिक स्थिति, 4. औद्योगिक डिजाइन, 5. पेटेंट, 6. गुप्त सूचनाएं एवं 7. लेआउट डिजाइन। इन सात क्षेत्रों में से मुख्य रूप से भारत में विरोध पेटेंट को लेकर है। पेटेंट कानून, 1970 के अन्तर्गत पेटेंट केवल उत्पाद पर दिया जाता है, किन्तु ट्रिप्स कानून के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र को पेटेंट की सीमा से बाहर नहीं रखा गया है। इसके साथ ही वस्तु के साथ–साथ प्रक्रिया पेटेंट का भी प्रावधान है। भारत में अधिकतम 14 वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अधिकार दिए जाते थे, जबकि डंकल समझौते के अनुसार पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होगी। भारत में पेटेंट संशोधन विधेयक,1999 के पास हो जाने के पश्चात् अब भारत का पेटेंट कानून डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुरूप हो गया है।[1]

व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय (ट्रिम्स)

इस समझौते के अनुसार विदेशी निवेश तथा राष्ट्रीय निवेश में कोई अन्तर नहीं रखा गया है। निवेश के क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा विदेशी निवेशक स्थानीय कच्चा माल तथा उत्पादन के प्रयोग के लिए बाध्य नहीं होगा। इस समझौते के द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सुरक्षित बाजार उपलब्ध हो सकेगा।

गैट

गैट इस बात पर जोर देता है कि कोई भी राष्ट्र सेवाओं में व्यापार से सम्बन्धित भेदभाव न करे। सेवा क्षेत्र में बैंकिंग, बीमा, संचार, परामर्श सेवाएं, पर्यटन आदि को सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र का निजीकरण इसी समझौते के कारण किया गया है।

कृषि

कृषि में मुख्यतः दो प्रकार के मुद्दे हैं – पेटेन्ट व राजकोषीय सहायता। डब्ल्यूटीओ के प्रावधान के अनुसार कुल कृषि उत्पाद के मूल्य 20 प्रतिशत से अधिक की राजकोषीय सहायता होनी चाहिए। यह भारत पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह भारत पर 10 प्रतिशत से कम है, जबकि विकसित राष्ट्रों में 50 प्रतिशत तक ही भारत ने अपने कृषि हितों के रक्षार्थ डब्ल्यूटीओ के मानदण्डों को सहमति दी। भारत द्वारा कृषि के सम्बन्ध में एक विस्तृत प्रस्ताव दिया गया जिससे जीविकोपार्जन खेती करने वाले समूह की खाद्य एवं जीवन भूमिका के साधन सुनिश्चित

किये जा सके। भारत द्वारा विकसित राष्ट्रों को विकासशील देशों से सीमा शुल्क तथा राजकोषीय सहायता कम करने की मांग की गयी। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों का यह मानना है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने यहां पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे देशी कम्पनियों के हितों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। देशी कम्पनियों में घाटा सहने की क्षमता काफी कम होती है। इसी तरह व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा के मामले में भी विकासशील राष्ट्रों की तुलना में विकसित राष्ट्रों के उत्पाद, गुणवता एवं मानकों में श्रेष्ठ हैं। व्यापार सुविधा के तहत विकासशील राष्ट्र वैश्विक समानता की बात कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में कृषि के संदर्भ में व्यवस्था की गई है कि, सभी देश कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजारों मे कम से कम 3 से 5 प्रतिशत की मार्केट एक्सेस सुनिश्चित करें। विकासशील तथा विकसित देशों में सब प्रकार की सब्सिडी व सहायक तरीके कृषि उत्पाद के कुल मूल्य के क्रमशः 10 प्रतिशत व 4 प्रतिशत से अधिक न हों। औद्योगिक एवं विकासशील देश 6 वर्ष की समयावधि में औसत प्रशुल्क में क्रमशः 36 प्रतिशत तथा 24 प्रतिशत की कमी करें।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का उद्देश्य बहुपक्षीय व्यापार समझौते के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा संचालन को सरल बनाना, सदस्य देशों के बीच व्यापार सम्बन्धी विवादों को हल करना, विश्व के साधनों का अधिकतम उपयोग करना आदि है। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना है। विश्व व्यापार संगठन का चार्टर मराकश समझौते का ही एक अंग है। इस चार्टर के अनुसार वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन व व्यापार को बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अल्पविकसित देशों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना व बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के माध्यम से एक स्थायी, पक्षपात रहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था का विकास करना विश्व व्यापर संगठन के प्रमुख उद्देश्य रहें हैं।[19]

इस प्रकार गैट की इस दौर की वार्ता में 15 क्षेत्रों को शामिल किया गया जिन्हें दो भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में व्यापारिक वस्तुओं को रखा गया और द्वितीय भाग में सेवाओं से सम्बन्धित था। व्यापारिक वस्तुओं में कृषि, वस्त्र एवं कपड़ा, प्रशुल्क गैट की धाराएं, बहुपक्षीय व्यापार सम्बन्धी समझौते, सब्सिडी, गैट की धाराएं, बौद्धिक सम्पदा अधिकार के व्यापार सम्बन्धी पहलू TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), व्यापार सम्बन्धी निवेश उपाय (Trade Related Investement Measures- TRIMS) दूसरे भाग में सेवाओं को व्यापार से पृथक किया गया। उपर्युक्त लिखित विषयों पर विचार विमर्श और सहमति होनी थी। परंतु बौद्धिक सम्पदा अधिकार और व्यापार सम्बन्धी निवेश उपायों दोनों को लेकर विरोध उत्पन्न हो गया क्योंकि विकसित देश सेवा और निवेश प्रबन्ध जैसे क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की मांग कर रह थे, जिसका विरोध भारत सहित विकासशील देशों ने इसलिए किया कि अगर इन क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की व्यवस्था हो गयी तो विकासशील देश इन क्षेत्रों में काफी पिछड़ जाऐंगे।

पृथ्वी सम्मेलन

अमीर और गरीब देशों के बीच पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में आयोजित हुआ। जिसमें निम्नांकित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया।

1. विकासशील व पर्यावरण सुधार के लिए एजेण्डा 21।
2. वनों का संरक्षण सम्बन्धी योजना पर वक्तव्य।
3. 27 सूत्री रियो घोषणा।
4. एजेण्डा 21 के लिए कोष को एकत्रित करने पर आम सहमति बनी।

2002 में 104 देशों के शासनाध्यक्षों ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित 26 अगस्त से 06 सितम्बर के पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में अमीर और गरीब देशों में गतिरोध एवं विरोधाभास जारी रहा।

जी–20–

जी–20 की स्थापना 1999 में तब की गई थी, जब एशिया के देशों में 1997 में वित्तीय संकट आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा था। जी–20 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए विकसित और विकासशील देशों को एक मंच पर लाया जाए। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के आलोक में जी–20 का महत्व और अधिक बढ़ गया तथा 2008 से ही इसमें शिखर सम्मेलनों की व्यवस्था स्थापित की गई।

वित्तीय नियमन की ऐसी प्रणाली का विकास करना, जिससे भविष्य में वैश्विक वित्तीय संकटों को कम किया जा सके। सदस्य राष्ट्रों के मध्य नीतिगत समन्वय, जिसके द्वारा वैश्विक आर्थिक स्थिरता व जीवन्त विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सन्तुलित व स्थिर वैश्विक विकास को प्रोत्साहित करने वाली एक नई अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की स्थापना करना आदि जी–20 समूह के मुख्य उद्देश्य हैं।

वैश्वीकरण के वर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व वैश्विक मुद्दों पर सहयोग व विचार विमर्श हेतु जी–20 समूह एक महत्वपूर्ण मंच है। वैश्वीकरण के पूर्व धनी पूँजीवादी देशों के संगठन जी–8 द्वारा विश्व अर्थव्यवस्था का प्रबन्धन व संचालन किया जाता था, लेकिन वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चलते कतिपय नई आर्थिक शक्तियों जैसे–चीन, ब्राजील, भारत, दक्षिण कोरिया आदि का उदय हुआ। इन शक्तियों के उदय के परिणामस्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था में पश्चिमी प्रभुत्व में कमी आई। उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रबन्धन में नई आर्थिक शक्तियों के समायोजन हेतु ही जी–20 समूह को विकसित व मजबूत किया जा रहा है।

ब्रिक्स

ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन, भारत तथा दक्षिण अफ्रीका इन पाँच देशों का समूह है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। यह विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर ब्रिक्स के अन्य चारों सदस्य देश विश्व के प्रगतिशील देशों के संगठन जी–20 के सदस्य हैं। ब्रिक्स मूलतः विश्व की

पाँच अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक सहयोग संगठन है, लेकिन भविष्य में यह राजनीतिक मुद्दों पर भी ठोस पहल करने की क्षमता रखता है। इस समूह का मुख्य उद्देश्य अमेरीका तथा उसके सहयोगियों के वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनावश्यक वर्चस्व को चुनौती देना है। आर्थिक रूप से ब्रिक्स वैश्विक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्त्रोत है।

एसेम या एशिया–यूरोप मीटिंग

एसेम आधिकारिक रूप से 1 मार्च, 1996 को बैंकाक में अस्तित्व में आया। उत्तर–दक्षिण संवाद का यह एक मुख्य मंच है। यह 53 देशों का संगठन है जिसमें 15 सदस्य यूरोपियन, 7 सदस्य आसियान तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत आदि शामिल हैं। इसकी 11 वीं बैठक (2016, मंगोलिया) में एशिया व यूरोप में मजबूत साझेदारी व सहयोग का नारा बुलंद किया गया।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत सन्दर्भ साहित्य सीमित उपादेयता के उपरान्त भी उपयोगी है एवं विश्लेषणात्मक उपादेयता रखते हैं। अध्ययन हेतु निम्नाकिंत पुस्तकों का प्रारम्भिक रूप से अवलोकन किया गया–

एम. पी. राव. द्वारा सम्पादित, ''द न्यू इन्टरनेशनल इकोनोमिक आर्डर'' (2004) में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिचय, विकास, अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास व उपलब्धियों पर व्याख्या की गई है जो उपयोगी रहा है।

विलियम आर्थर लेविस की पुस्तक ''दि इवोल्यूशन ऑफ द इन्टरनेशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर'', प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, (2015) में वर्णित विकसित व विकासशील देशों के नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विचार शोध पत्र में उपयोगी रहे हैं।

डेविड स्मिथ की पुस्तक, 'द ड्रेगन एण्ड द एलिफेन्टः चाईना, इण्डिया एण्ड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर (2008) (अमेजन डॉट कॉम) में किया गया भारत व चीन का तुलनात्मक अध्ययन तथा उदित होते हुए भारत की स्थिति का वर्णन उपयोगी रहा है।

गिलपिन–गिलपिन की पुस्तक, 'ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनोमीः अण्डरस्टेन्ड्रिग द इण्टरनेशनल इकॉनोमिक आर्डर (2011) (अमेजन डॉट कॉम) नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तरित अध्ययन के कारण उपयोगी रहा है।

मुथू कुमार स्वामी तथा वैंग जियान्गू की पुस्तक ''चाइना, इण्डिया एण्ड द इन्टरनेशनल इकोनोमिक ऑर्डर,'' (जुलाई 2010) (कैम्ब्रीज यूनिवर्सिट प्रेस) में भारत व चीन की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई है जो उपयोगी रहा है।

नियोल गेस्टन व अहमद एस खालिद द्वारा सम्पादित ''ग्लोबलाईजेशन एण्ड इकोनोमिक इन्टिग्रेसनः विनर्स एण्ड लूजरस इन द एशिया–पेसेफिक'' (2010), में भूमण्डलीकरण पर की गई व्याख्या प्रस्तुत शोध के लिये महत्वपूर्ण रहा है।

महला अशोक के शोध कार्य ''नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था'' विकासशील देशों का दृष्टिकोण (सन् 1990 से 2000 तक), 2003 में नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए किये गये प्रयास व विकासशील देशों के योगदान का मूल्यांकन किया गया है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के परिचय, इतिहास व अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों के सन्दर्भ में यह अध्ययन उपयोगी रहा है।

डेनियल एफ स्पल्बर की ''ग्लोबल कम्पेरेटिव स्ट्रेटेजी'' (2011), यह अध्ययन उपयोगी रहा है।

निष्कर्ष

अतः उत्तर–दक्षिण संवाद नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है। नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास तभी संभव है, जब विकसित राष्ट्र इसके लिए सहमत हों। आर्थिक संसाधनों के समवितरण की धारणा दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर विकसित की है। इस धारणा को लागू करने के लिए उत्तर के राष्ट्रों को अपने आर्थिक हितों का कुछ सीमा तक बलिदान करना होगा। इन्हें इसके लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं है।

इस प्रकार नवीन अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु उत्तर–दक्षिण संवाद या सहयोग की शुरूआत की गयी। इस सन्दर्भ में 1975 का पेरिस सम्मेलन, 1977 का ब्रांट आयोग, कानकून सम्मेलन, गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन का उदय आदि मुख्य दौर देखे गये। उत्तर–दक्षिण प्रयास के रूप में ब्रिक्स, जी–20, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर सार्क–आसियान की बैठकों में विकसित राष्ट्रों की उपस्थिति आदि प्रयास देखे गये। परन्तु विकसित देशों के उपेक्षापूर्ण व अडियल व्यवहार के कारण विकासशील देशों ने दक्षिण–दक्षिण सहयोग की वकालत करनी शुरू कर दी।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज, ए 5559, जी. ए. रेजो. 3201 पूरक एस (VI) छठा विशेष अधिवेशन 1974*
2. *इण्डियन रोल इन इट्स इमरजैन्स व 'सुरेन्द्र चोपड़ा', स्टडीज इन इण्डियाज फारेन पालिसी, अमृतसर, 1980, पृ.–87*
3. *डॉ. जी. वी. नोमा, डॉ. डी. सी. त्रिपाठी– ''भारत एवं विश्व'' कॉलेज बुक डिपो, त्रिपोलिया, जयपुर, 2012, पृ. 89*
4. *तपन बिस्वाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव,2013, पृ 182।*
5. *प्रो. बी.एम. जैन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध – राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 212।*
6. *तपन बिस्वाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव, 2013,पृ 183।*
7. *प्रो. बी.एम. जैन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध – राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 212।*
8. *तपन बिस्वाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव, 2013, पृ 183।*
9. *प्रो. बी.एम. जैन अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध – राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2009, पृ. 212*
10 *एस.सी. सिंहल– समकालीन राजनीतिक मुद्दे, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा2016, पृ. 34।*
11 *उपर्युक्त, पृ. 34*
12 *उपर्युक्त, पृ. 34*
13 *उपर्युक्त, पृ. 34*

14 *डॉ. जी. वी. नेमा, डॉ. डी. सी. त्रिपाठी– ''भारत एवं विश्व'', प्रकाशक कॉलेज बुक डिपो त्रिपोलिया, जयपुर, 2012, पृ.104।*
15 *तपन बिस्वाल, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बंध, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, गुड़गांव,2013, पृ 193।*
16 *उपर्युक्त, पृ.196*
17 *साउथ एशियन पोजिशन इन दी डब्ल्यूटीओ दोहा राउण्ड, इन सर्च आफ ए ट्रूथ डवलपमेंण्ट एजेण्डा, पब्लिशड कट्स इन्टरनेशनल जयपुर, 2005, पृ.45*
18 *साउथ एशियन पोजिशन इन दी डब्ल्यूटीओ दोहा राउण्ड, इन सर्च आफ ए ट्रूथ डवलपमेंण्ट एजेण्डा, पब्लिशड कट्स इन्टरनेशनल जयपुर, 2005, पृ.45*
19 *प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल, 2011 पृ. 1664*

वेबसाइट

20 *www.google.com*
21 *www.wikipedia.org*